रजिस्टर्ड नं० ए० डी० - 4

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 15 सितम्बर, 1975
भाद्रपद 24, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3795/सत्रह वि-1-54-74

लखनऊ, 15 सितम्बर, 1975

### अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 4 सितम्बर, 1975 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 47, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

## खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 47, 1975]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री के अपमिश्रण के विरुद्ध और अधिक प्रभावी कार्यवाही करने के उद्देश्य से और उनके संबंध में अपराधों के लिये प्रतिरोधक दण्ड देने के निमित्त भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, दि ड्रग्स ऐण्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट, 1940 और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

### अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा । संक्षिप्त नाम

2—भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, दि ड्रग्स ऐण्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट, 1940 और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में, एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से संशोधित किया जायगा । अधिनियम का लागू होना

3—भारतीय दण्ड संहिता में— 1860 के अधिनियम 45 का संशोधन

(1) धारा 272 में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायगा ।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"आजीवन कारावास से दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये ऐसे कारावास से भिन्न

(2) धारा 273 में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"आजीवन कारावास से दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।";

(3) धारा 274 में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"आजीवन कारावास से दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।";

(4) धारा 275 में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"आजीवन कारावास से दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा:

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।";

(5) धारा 276 में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"आजीवन कारावास से दण्डित किया जायगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।";

1974 के अधिनियम 2 की प्रथम अनुसूची का संशोधन।

4—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रथम अनुसूची में, धारा 272, 273, 274, 275 और 276 के सामने वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः स्तम्भ 2, 3, 4, 5 और 6 में निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायं, अर्थात्:—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| "272 | विक्रय के लिये आशयित खाद्य या पेय का ऐसा अपमिश्रण जिससे कि वह अपायकर बन जाये। | जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास। | संज्ञेय | अजमानतीय | सेशन न्यायालय |
| 273 | खाद्य और पेय के रूप में किसी खाद्य या पेय को, यह जानते हुए कि वह अपायकर है, बेचना। | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |
| 274 | विक्रय के लिये आशयित किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति का ऐसा अपमिश्रण जिससे उसकी प्रभावकारिता कम हो जाय या उसकी क्रिया बदल जाए या वह अपायकर हो जाय। | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |
| 275 | किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति को जिसके बारे में ज्ञात है कि वह अपमिश्रित है बेचने की प्रस्थापना करना या औषधालय से देना। | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 276 | किसी औषधि या भेषजीय निर्मिति को भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मिति के रूप में जानते हुए बेचना या औषधालय से देना। | जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास। | संज्ञेय अजमानतीय सेशन न्यायालय" |

5—दि ड्रग्स ऐण्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट, 1940 में— 1940 का ऐक्ट 23 का संशोधन।

(1) धारा 6 में उपधारा (1) में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अतिरिक्त परन्तुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से यह निदेश दे सकेगी कि केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला और निदेशक के कृत्य उत्तर प्रदेश में क्रमशः ऐसे प्राधिकारी तथा ऐसे अधिकारी द्वारा जिन्हें राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किये जा सकेंगे और तब इस अधिनियम में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला या निदेशक के प्रति किसी निर्देश को, यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा।"

(2) धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

सबूत का भार

"19—क—जब कोई औषधि या प्रसाधन सामग्री धारा 22 के खण्ड (ग) के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति से इस युक्तियुक्त विश्वास से अभिगृहीत की जाय कि ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री मिथ्या छाप वाली अथवा अपमिश्रित है तो इस बात को साबित करने का भार कि ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री मिथ्या छाप वाली अथवा अपमिश्रित नहीं है, उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री अभिगृहीत की गई थी।";

(3) धारा 27 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

इस अध्याय के उल्लंघन में औषधियों के निर्माण, उसकी बिक्री आदि के लिये शास्ति

"27—जो कोई भी स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,—

(क) किसी औषधि का—

(1) जो धारा 17 के खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ), या खण्ड (छ) के अधीन मिथ्या छाप वाली अथवा धारा 17—ख के अधीन अपमिश्रित समझी गयी हो, या

(2) धारा 18 के खण्ड (ग) की अपेक्षानुसार किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना, या

(ख) इस अध्याय या तद्धीन बनाये गये किसी नियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी औषधि से भिन्न किसी औषधि का विक्रय के लिये विनिर्माण करता है, विक्रय करता है, विक्रय के लिए उसका स्टाक या प्रदर्शन करता है अथवा असका वितरण करता है तो वह आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय किन्हीं विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।"

(4) धारा 27—क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

इस अध्याय के उल्लंघन में प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण, विक्रय आदि के लिये शास्ति

"27—क—जो कोई भी स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अध्याय अथवा तद्धीन बनाये गये किसी नियम के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में किसी प्रसाधन सामग्री का विक्रय के लिये विनिर्माण करता है, विक्रय करता है, विक्रय के लिये उसका स्टाक या प्रदर्शन करता है अथवा उसका वितरण करता है तो वह आजीवन कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।";

(5) धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :

"30—इस अध्याय के अधीन दण्डनीय सभी अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे ।"

1954 के अधिनियम 37 का संशोधन ।

6—खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में—

(1) धारा 4 में, उपधारा (2) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से यह निदेश दे सकेगी कि केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला और निदेशक के कृत्य उत्तर प्रदेश में क्रमशः ऐसे प्राधिकारी तथा अधिकारी द्वारा जिन्हें राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किये जा सकेंगे और तब इस अधिनियम में केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला या निदेशक के प्रति किसी निर्देश को, यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा ।";

(2) धारा 16 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "इतनी अवधि के लिये, जो छः मास से कम की न होगी किन्तु जो छः वर्ष तक की हो सकती है, कारावास से और जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "आजीवन कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा" रख दिये जायें ;

(ख) उपधारा (1) के परन्तुक (2) में, शब्द "तो न्यायालय निर्णय में वर्णनीय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिये छः मास से कम की अवधि के लिये कारावास या एक हजार रुपये से कम के जुर्माने अथवा छः मास से कम की अवधि के लिए कारावास और एक हजार रुपये से कम के जुर्माने, दोनों से दण्डित कर सकेगा" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें, अर्थात् :—

"न्यायालय निर्णय में वर्णनीय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिये ऐसे दण्ड से दण्डित कर सकेगा जो आजीवन कारावास के दण्ड से कम हो ।";

(3) उपधारा (1-ख) में, शब्द "छः वर्ष की अवधि के लिये कारावास से और जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा" के स्थान पर शब्द "आजीवन कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा" रख दिये जायें ;

(4) धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"19-क—जब खाद्य के लिए आशयित कोई पदार्थ धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन खाद्य निरीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति से इस युक्तियुक्त विश्वास से अभिगृहीत किया जाय कि वह अपमिश्रित या मिथ्या छाप वाला है तो यह साबित करने का भार कि खाद्य के लिए आशयित ऐसा पदार्थ अपमिश्रित या मिथ्या छाप वाला नहीं है, उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से खाद्य के लिए आशयित ऐसा पदार्थ अभिगृहीत किया गया था ।"

सबूत का भार

(5) धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"21-क—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय सभी अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे ।"

अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे

---

No. 3795 (2)/XVII-V-1—54-74

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Khadya, Aushadhi Tatha Prasadhan Samagri Apmishran Niwaran (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 47 of 1975), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on September 4, 1975:

# THE PREVENTION OF ADULTERATION OF FOOD, DRUGS AND COSMETICS (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1974

[U. P. ACT NO. 47 OF 1975]

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973, the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, in their application to Uttar Pradesh with a view to taking more effective action against adulteration of food, drugs and cosmetics and for providing deterrent punishments for offences relating thereto.*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Prevention of Adulteration of Food, Drugs and Cosmetics (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1974.

Application of the Act

2. The Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973, the Drugs and Cosmetics Act, 1940, and the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, shall, in their application to Uttar Pradesh, be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Act 45 of 1860.

3. In the Indian Penal Code,—

(i) in section 272, *for* the words "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both", the following shall be *substituted,* namely :—

"shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable to fine :

Provided that the Court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgement, impose a sentence of imprisonment which is less than imprisonment for life;"

(ii) in section 273, *for* the words "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both", the following shall be *substituted,* namely :—

"shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable to fine :

Provided that the Court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgement, impose a sentence of imprisonment which is less than imprisonment for life;"

(iii) in section 274, *for* the words "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both", the following shall be *substituted,* namely :—

"shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable to fine :

Provided that the Court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgement, impose a sentence of imprisonment which is less than imprisonment for life;"

(iv) in section 275, *for* the words "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both", the following shall be *substituted,* namely :—

"shall be punished with imprisonment for life and shall be liable to fine :

Provided that the Court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgement impose a sentence of imprisonment which is less than imprisonment for life ;"

(v) in section 276, *for* the words "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months,

or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both" the following shall be *substituted,* namely :—

"shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable to fine :

Provided that the Court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgement, impose a sentence of imprisonment which is less than imprisonment for life."

Amendment of the Fist Schedule to Act no. 2 of 1974.

4. In the Code of Criminal Procedure, 1973, in the First Schedule, *for* the existing entries against sections 272, 273, 274, 275 and 276, the following entries shall be *substituted* in Columns 2, 3, 4, 5 and 6 respectively, namely :—

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| "272 | Adulterating food or drink intended for sale, so as to make the same noxious. | Imprisonment for life, with or without fine. | Cognizable | Non-bailable | Court of session |
| 273 | Selling any food or drink as food and drink, knowing the same to be noxious. | Ditto | Ditto | Ditto | Ditto |
| 274 | Adulterating any drug or medical preparation intended for sale so as to lessen its efficacy, or to change its operation or to make it noxious. | Ditto | Ditto | Ditto | Ditto |
| 275 | Offering for sale or issuing from a dispensary any drug or medical preparation known to have been adulterated. | Ditto | Ditto | Ditto | Ditto |
| 276 | Knowingly selling or issuing from a dispensary any drug or medical preparation as a different drug or medical preparation. | Ditto | Ditto | Ditto | Ditto |

Amendment of Act.23 of 1940.

5. In the Drugs and Cosmetics Act, 1940—

(i) in section 6, in sub-section (i) *after* the existing proviso, the following further proviso shall be *added,* namely :—

"Provided further that the State Government may, with the prior approval of the Central Government, direct that the functions of the Central Drugs Laboratory and of the Director may be carried out in Uttar Pradesh by such Authority and such officer respectively as may be specified by the State Government by notification in the Official *Gazette,* and any reference in this Act to the Central Drugs Laboratory or the Director shall then be construed as a reference to such Authority or officer, as the case may be." ;

(ii) *after* section 19, the following section shall be *inserted,* namely :—

Burden of proof

"19-A. When any drug or cosmetic is seized from any person under clause (*c*) of section 22 by an Inspector in the reasonable belief that such drug or cosmetic is misbranded or adulterated, the burden of proving that such drug or cosmetic is not misbranded or adulterated shall be on the person from whose possession such drug or cosmetic was seized." ;

(iii) *for* section 27, the following section shall be *substituted,* namely :—

"27. *Penalty for manufacture, sale, etc., of drugs in contravention of this Chapter* :

Whoever himself or by any other person on his behalf manufactures for sale, sells, stocks or exhibits for sale or distributes—

(*a*) any drug—

(i) deemed to be misbranded under clause (*a*), clause (*b*), clause (*c*), clause (*d*), clause (*f*) or clause (2) of section 17 or adulterated under section 17-B, or

(ii) without a valid licence as required under clause (*c*) of section 18 ; or

(*b*) any drug other than a drug referred to in clause (*a*) in contravention of any of the provisions of this Chapter or any rule made thereunder—

"shall be punished with imprisonment for life :

Provided that the Court may, for any special reasons to be recorded in writing impose a sentence of imprisonment which is less than imprisonment for life." ;

(iv) *for* section 27-A, the following section shall be *substituted*, namely :—

"27-A. *Penalty for manufacture, sale, etc., of cosmetics in contravention of this Chapter* :

Whoever himself or by any other persons on his behalf manufacture for sale, sells, stocks or exhibits for sale, or distributes any cosmetic in contravention of any provisions of this Chapter or any rule made thereunder, shall be punishable with imprisonment for life and shall also be liable to fine :

Provided that the Court may, for adequate and special reasons to be mentioned in the judgement, impose a sentence of imprisonment which is less than imprisonment for life." ;

(v) for section 30 the following section shall be *substituted*, namely :—

"30. All offences punishable under this Chapter shall be cognizable and non-bailable."

6. In the Prevention of Food Adulteration Act, 1954— Amendment of Act 37 of 1954.

(i) in section 4, in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted*, namely :

"Provided that the State Government may, with the prior approval of the Central Government, direct that the functions of the Central Food Laboratory and of the Director may be carried out in Uttar Pradesh by such Authority and such officer respectively, as may be specified by the State Government by notification in the Official *Gazette*, and any reference in this Act to the Central Food Laboratory or the Director shall then be construed as reference to such Authority or Officer, as the case may be." ;

(ii) in section 16—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six years, and with fine which shall not be less than one thousand rupees", the words "be punishable with imprisonment for life and shall also be liable to fine" shall be *substituted* ;

(*b*) in the proviso (ii) to sub-section (1), *for* the words "the Court may for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgement, impose a sentence of imprisonment for a term of less than six months or fine or less than one thousand rupees or of both imprisonment for a term not less than six months and fine not less than one thousand rupees", the following shall be *substituted*, namely :—

"the court may, for any adequate and special reasons to be mentioned in the judgement, impose a sentence which is less than a sentence of imprisonment for life;"

(iii) in sub-section (1B), *for* the words "shall be punishable with imprisonment for a term of six years and with fine which shall not be

less than one thousand rupees", the words "shall be punishable with imprisonment for life and shall be also liable to fine" shall be *substituted* :

(iv) *after* section 19, the following section shall be *inserted*, namely :—

Burden of proof.

"19-A. When any article intended for food is seized from any person under sub-section (4) of section 10 by a food inspector in the reasonable belief that the same is adulterated or misbranded, the burden of proving that such article intended for food is not adulterated or misbranded shall be on the person from whose possession such article intended for food was seized." ;

(v) *after* section 21, the following section shall be *inserted*, namely :—

Offences to be cognizable and non-bailable.

"21-A. All offences punishable under this Act shall be cognizable and non-bailable."

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 251 सा0 (विधा0)–1975 650 (मे0)